

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ १()१४-१५ ऑडिट समिति/प्रमुख/ ३५८४

दिनांक २९ / ०७ / २०१५

बैठक सूचना

वन विभाग की विभागीय ऑडिट समिति की प्रथम बैठक (वर्ष २०१५-१६) अंतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक ०२.०९.२०१५ को सायं ४.०० बजे सभा कक्ष, अरण्य भवन, जयपुर में आयोजित किया जाना निश्चित हुआ है। बैठक में निम्न अधिकारियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है:-

१. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) राजस्थान, जयपुर।
 २. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान के प्रतिनिधि।
 ३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई) जयपुर।
 ४. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर।
 ५. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रति पालक राज. जयपुर।
 ६. अंति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, समन्वय, परियोजना सुनिकरण एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर।
 ७. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग राजस्थान, जयपुर।
 ८. निदेशक, निरीक्षक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 ९. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- बैठक में विचारार्थ कार्यसूची की प्रति संलग्न है।

४०

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ १()१४-१५ ऑडिट समिति/प्रमुख/ ३५८५-६१९

दिनांक २९ / ०७ / २०१५

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. निजी सचिव, अंतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 २. वरिष्ठ निजी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स) राजस्थान, जयपुर।
 ३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान।
 ४. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई) जयपुर।
 ५. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना एवं वन बन्दोबस्त राज. जयपुर।
 ६. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर।
 ७. अंति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (समन्वय, परियोजना सुनिकरण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर।
 ८. अंति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अ.वृ.प., राजस्थान, जयपुर।
 ९. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशिक्षण अनुसंधान) जयपुर।
 १०. अंति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एन.टी.एफ.पी. राजस्थान, जयपुर।
 ११. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण), विभाग।
 १२. निदेशक, निरीक्षक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 १३. उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 १४. परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता, जयपुर।
 १५. मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) जयपुर, / मुख्य वन संरक्षक जयपुर/उदयपुर/कोटा/जोधपुर/
बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/आयोजना, जयपुर/विभागीय कार्य/वनास नदी परियोजना/वन्यजीव,
जयपुर/वन्यजीव जोधपुर/वन्यजीव उदयपुर/वन्यजीव कोटा/वन्यजीव भरतपुर/निदेशक परियोजनाएं
कोटा/सिल्वीकल्वर, जयपुर/उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिकी सहायक, प्र.मु.व.स. राज. जयपुर को
भिजवाकर अनुरोध है कि एजेण्डा नोट अनुसार प्रगति रिपोर्ट दिनांक २०.०८.२०१५ तक भिजवाने का श्रम
करावें एवं उक्त दिनांक को ऑडिट समिति की बैठक में व्यवितरण रूप से उपस्थित होने का श्रम करें।
 १६. सम्पदा अधिकारी, अरण्य भवन, जयपुर।
 १७. कम्प्यूटर प्रोग्राम कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्न—एजेण्डा की प्रति

३५

वित्तीय सलाहकार

विभागीय आडिट समिति की प्रथम बैठक (वर्ष 2015–16)

दिनांक 02.09.2015 के लिये 'विचारार्थ कार्यसूची (एजेण्डा नोट):-

1.	महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना।
2	महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व उनमें सम्मिलित अनुच्छेदों की अनुपालना
3	बकाया तथ्यात्मक प्रतिवेदन/प्रस्तावित ड्राफ्ट पैरा,
4	सी.ए.जी. प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की अनुपालना
5	जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों की कियान्विती रिपोर्ट
6	चोरी व गबन प्रकरणों की नवीनतम स्थिति
7	निदेशक निरीक्षण विभाग से संबंधित अंकेक्षण की स्थिति
8	ओ.बी. आईटम की नवीनतम स्थिति
9	बकाया वन अग्रिम का समायोजन

3/2/
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर